

152

152


303  
12-6-14

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश कैम्प रीवा संभाग रीवा

मो प्र०,

श्री... रविनाथ... प्रदीप... एड  
द्वारा आज दिनांक... 12-06-14 के  
प्रस्तुत किया गया।

रिबर  
सर्टिफिकेट रीवा



R- 2595 - II 114

- १॥ योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी आ० श्री रमेश प्रसाद त्रिपाठी ।
- २॥ राजशंकर त्रिपाठी आ० श्री राजकुमार त्रिपाठी ।
- ३॥ बालकृष्ण त्रिपाठी आ० श्री हर प्रसाद त्रिपाठी ।
- ४॥ रमेश त्रिपाठी आ० स्व० श्री नारायण प्रसाद त्रिपाठी ।
- ५॥ हर प्रसाद त्रिपाठी आ० स्व० श्री नारायण प्रसाद त्रिपाठी ।

सभी निवासी मौजा मेहुंती तहो बिरसिंहपुर जिला सतना मो प्र० - निग० गण  
बनाम

१॥ आंम जनता सैमरा द्वारा :-

अ:- लेखराज सिंह आ० श्री राजा सिंह ।

ब:- रामकुशील त्रिपाठी तनय श्री रामधनी त्रिपाठी । एवं अन्य ।

सभी निवासी मौजा सैमरा तहो रघु० जिला सतना मो प्र०, - गैर निग० गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मो प्र० कानून मालि

निगरानी बिरुद्ध, आदेश दिनांक 24-3-014 पारित

द्वारा न्यायालय श्री मान, नायब तहसीलदार वृत्त

जैतवारा तहो बिरसिंहपुर जिला सतना मो प्र०, जरिये

राजस्व प्रकरण क्र० 5/3/12-13,


मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2595-II/14

जिला-सतना

योजेन्द्र कुमार त्रिपाठी वगैरः/आम जनता सेमरा, लेखराज सिंह

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	